



कार्यालय: जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पलामू  
(जिला योजना शाखा)

email : dpopalamau@gmail.com

Office:06562-230859

VeryShort Expression of Interest (EOI)

1. विज्ञापनदाता का पदनाम :- उपायुक्त, पलामू।
2. EOI जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक 15.10.2020 को 1:00 बजे अपराह्न तक।
3. EOI जमा करने का स्थान एवं समय :- जिला योजना कार्यालय, पलामू कार्यालय अवधि में।
4. EOI खोलने का स्थान, तिथि एवं समय :- उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ, दिनांक 15.10.2020 को 1:30 बजे अपराह्न

उपायुक्त कार्यालय (जिला योजना शाखा) द्वारा Special Central Assistance अन्तर्गत स्वदेशी मानक स्तर (बोनोबो, आर0पी0, डॉल्फिन आदि)की कम्पनियों द्वारा निर्मित **Double Pedal Operated Incense Stick Rolling Machine & Semi Automatic Incense Stick Rolling Machine** की आपूर्ति, अधिष्ठापन, प्रशिक्षण एवं निर्मित अगरबत्ती के Buy Back हेतु Expression of Interest की मांग की जाती है।

Double Pedal Operated Incense Stick Rolling Machine का Specification निम्नवत है :-

**Table-A**

S.No	Size of Machine (approx)	Rate per Unit
1	Table Size (Length 32 inch, width-12.5 inch, height-31 inch)	
2	Machine Size (Length 8 inch, width-12 inch, height-25 inch)	
3	Cylinder Size (Length 13.5 inch, round-6.5)	
4	Overall Machine Size (Length 32 inch, width-12.5 inch, height-56 inch)	
5	S.S Nozzle-2.8 mm y x HKx	
6	S.S pipe-11.5 bap	
7	Gear and shaft-Wrought Iron	

**Table-B**

S.No	Machine (approx)	Rate per Unit
1	बांस कांटी निर्माण मशीन(मैनुअल)	
2	बांस कांटी निर्माण मशीन(सेमी ऑटोमैटिक)	


### Terms of EOI :-


1. इच्छुक फर्म/संस्थान द्वारा उक्त सामग्री/उपकरणों के अलावे अगरबती उत्पादन केंद्र की स्थापना हेतु अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता हो तो उसे EOI में शामिल करना सुनिश्चित करेंगे।
2. इच्छुक फर्म/संस्थान को अग्रधन राशि के रूप में 1,00,000.00 (एक लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट, जो उपायुक्त, पलामू के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, डालटनगंज में भुगतान हो, समर्पित करना होगा।
3. इच्छुक फर्म/संस्थान द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों का नाम, ब्रांड एवं Specification, Catalogue, Brochure निविदा कागजात के साथ संलग्न किया जायेगा एवं जानकारी स्पष्ट की जायेगी।
4. इच्छुक फर्म/संस्थान के पास GST का निबंधन झारखण्ड में अवश्य होना चाहिए।
5. इच्छुक फर्म/संस्थान द्वारा Updated GST Return जमा करना होगा।
6. इच्छुक फर्म/संस्थान को उक्त सामग्रियों/उपकरणों की सरकारी आपूर्ति का अनुभव अवश्य होना चाहिए। साथ ही, EOI में अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
7. सफल फर्म/संस्थान को उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन (Supply and Installation) आदेशित स्थल पर करनी होगी, जिसके लिए उन्हें अलग से कोई व्यय देय नहीं होगा।
8. इच्छुक फर्म/संस्थान को अपनी निविदा में सभी कर (GST) आदि सम्मिलित करते हुए दर उद्धृत करना होगा।
9. झारखण्ड राज्य के फर्म/संस्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।
10. सफल फर्म/संस्थान द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति आदेश की तिथि से 45 दिन के अंदर करना होगा।
11. इच्छुक फर्म/संस्थान को EOI के साथ उपकरणों का Manufacturer एवं Warranty/Gurantee का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। किसी तरह की खराबी (Defect) आने पर अपने खर्च पर स्वयं बदलना होगा, इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
12. सभी उपस्कर/उपकरण ISO/ISI अभिप्रमाणित होना चाहिए।
13. इच्छुक फर्म/संस्थान को पिछले तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं बैलेंस शीट निविदा के साथ जमा करना होगा।
14. इच्छुक फर्म/संस्थान को Technical Proposal एवं Financial Proposal अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में डालना अनिवार्य होगा। इच्छुक फर्म को निर्धारित तिथि को Machine Presentation and Demonstration देना होगा।
15. Evaluation Criteria के अनुसार प्राप्त प्रस्ताव में निम्न अनुसार Weightage दिया जायेगा :-

Evaluation Criteria	Weightage
Technical Proposal	50%
Machine Presentation and Demonstration	20%
Financial Proposal	30%

16. Technical Proposal & Machine Presentation and Demonstration संतोषजनक पाये जाने पर ही Financial Proposal खोला जायेगा।
17. EOI को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार उपायुक्त, पलामू को सुरक्षित होगा, जिनका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

  
ASHWINI CHAUHAN  
ADP PALAMAU  
01/10/2020

  
जिला योजना पदाधिकारी  
पलामू

  
उपायुक्त, पलामू।  
02/10/2020